फाइल नं0-71-3002(002)/2/2025-03

107/2026/I/1284302/2026

प्रेषक,

चन्द्र शेखर मिश्र,
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ : दिनॉक 30 मार्च, 2026

विषयः- वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अमेठी के पुराने चिकित्सालय भवन एवं आवासीय भवनों के जीर्णोद्धार कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/निर्माण/2025-26/618, दिनॉक 25.03.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अमेठी के पुराने चिकित्सालय भवन एवं आवासीय भवनों के जीर्णोद्धार कार्य हेतु तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0 86.95 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत पूँजीलेखा पक्ष में लेखाशीर्षक-4210-03-105-26-जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर स्थापित मेडिकल कालेजों से सम्बद्ध चिकित्सालयों का अनुरक्षण/जीर्णोद्धार/सुदृढ़ीकरण हेतु मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि रू0 2500.00 लाख के सापेक्ष **रू0 86.95 लाख (रू0 छियासी लाख पंचानबे हजार मात्र)** निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था द्वारा वित्त के नियमों, शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन ही कार्यवाही की जाये।
3. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियाँ तथा प्रायोजना को निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत पूर्ण कराये जाने की जिम्मेदारी महानिदेशक/प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।
4. महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। प्रस्तावित कार्य की दुरावृत्ति न हो रही हो।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्हीं अन्य कार्यों/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
6. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते/डाकघर में नहीं रखा जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा भौतिक प्रगति का विवरण समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
7. आगणन में प्राविधानित मदों की मात्राओं को यथावत् मानते हुए आगणन का परीक्षण किया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8. क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था द्वारा इन कार्यो हेतु प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर दरें प्राप्त कर निर्माण कार्य सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाये।
9. आगणन में 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 का प्राविधान किया गया है, जो नियमानुसार देय होगा।
10. आगणन में 10 प्रतिशत सेन्टेज का प्राविधान किया गया है, जो नियमानुसार देय होगा।
11. आगणन में लेबर सेस नियमानुसार देय होगा।
12. आगणन में विभागीय दक्षता हेतु 5 प्रतिशत कम कर दिया गया है।
13. कार्यो में प्रयुक्त डिजाइन, सामग्री आदि हेतु कार्यदायी संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 86,95,000 (रुपये छियासी लाख पंचानबे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 031 **लेखा शीर्षक** 4210031052600 जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर स्थापित मेडिकल कालेजों से सम्बद्ध चिकित्सालयों का अनुरक्षण/जीर्णोद्धार/सुदृढ़ीकरण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत् प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(चन्द्र शेखर मिश्र)
संयुक्त सचिव।

संख्या:- उपरोक्त, तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अमेठी।
3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, अमेठी।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, अमेठी।
6- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0आर0एन0एस0एस0, लखनऊ।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(चन्द्र शेखर मिश्र)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।